

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-रा0का0-02/2009

6411

खाद्य, पटना/दिनांक-

4/10/2012

mail

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- राशन कार्ड वितरण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र 152 दिनांक 10.01.2011 के संबंध में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जनवरी, 2011 तक सर्वेक्षित सभी परिवारों के बीच राशन कार्ड का वितरण कर एतद संबंधी अंतिम प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था ।

इसके आलोक में सभी जिलों से लगभग 90% या इससे अधिक भी राशन कार्ड वितरण का प्रतिवेदन विभाग को भेजे गये हैं । परन्तु क्षेत्र भ्रमण के दौरान एवं अन्य माध्यमों से भी ऐसी शिकायतें मिल रही है कि अभी भी सभी सर्वेक्षित परिवारों को वास्तविक रूप से राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो घोर चिन्ता का विषय है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन किया जाना है । जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 30 अक्टूबर, 2012 की समय-सीमा निर्धारित की गई है । मुख्य सचिव की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र भी दायर किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि जैसे सर्वेक्षित परिवार जिन्हें अबतक राशन कार्ड नहीं मिल पाया हो उनके बीच अभियान चलाकर राशन कार्ड दस दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अथवा मुखिया/वार्ड सदस्य के पास अवितरित राशन कार्ड नहीं रहने पाये । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बोगस एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड को अभियान चलाकर रद्द करने के संबंध में आपको पूर्व में ही अनुरोध किया गया है । अतः वितरण के क्रम में जो राशन कार्ड अवितरित रह जाते हैं उसके बारे में जांच कराकर इसे बोगस या डुप्लीकेट पाये जाने पर रद्द करने की भी कार्रवाई की जाय । यह भी अनुरोध है कि पूर्व में वितरित किये गये एवं वर्तमान में वितरित किये गये राशन कार्ड का मूल्य, कोषागार में जमा करावाकर चालन की प्रति विभाग को भेजी जाय, अन्यथा यह अंकेक्षण की आपत्ति का भी मामला बन सकता है ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।